DECISION ON TENURE ALSO EXPECTED

# Cabinet likely to take up 5G spectrum pricing today

**KIRAN RATHEE**
New Delhi, June 7

**THE UNION CABINET** is likely to take a call on spectrum pricing for 5G auctions at its meeting on Wednesday. The Digital Communications Commission (DCC) has endorsed the reserve price recommended by the Telecom Regulatory Authority of India (Trai) and suggested that the Cabinet take a final call on whether the prices need to be lowered or not. So far, only the government's think-tank body, Niti Aayog has suggested that the reserve price needs to be lowered than what Trai and DCC have endorsed.

The decision whether spectrum needs to be auctioned for a period of 20 years or 30 years will also be taken by the Cabinet as last year the same body had decided to auction the airwaves for a period of 30-years.

Since Trai has given a price for 30-years which is 1.5 times higher than 20 years, the government is considering both the options, so that telecom operators can take a decision based on their financial position. After the Cabinet's approval, the department of telecommunications will immediately get down to working on the notice inviting application (NIA).

This document is crucial as it lays down all the formal guidelines relating to the auction process. Once the NIA is finalised and released, it usually takes 54 days for the auction to begin.

The auction is expected to be over in a couple of days itself as there are only 2-3 operators in the fray and most of the spectrum is likely to be sold at reserve price.

After the sale process ends, DoT will try to allocate frequencies to the telecom operators at the earliest, so that commercial rollout happens soon after. The DoT is aiming for the August 15 launch of commercial 5G services as desired by the Prime Minister's Office (PMO).

As reported earlier, Trai in its recommendations has cut the reserve price for 5G spectrum in the 3,300-3,670 MHz by 36% at ₹317 crore per Mhz. In 2018 when the Trai had for the first time recommended the reserve price for this band, it had fixed it at ₹492 crore per Mhz. Telecom operators who had demanded a 90-95% cut in the reserve price still feel that it's still on the higher side.

Since operators would need around 100 Mhz to run an efficient pan-India network, they would have to shell out ₹31,700 crore for buying this band.

For the millimetre band (24.25-28.5 GHz), Trai has recommended a reserve price of ₹6.99 crore per Mhz. Operators would need a minimum of 800 Mhz for a pan-India network here so will have to fork out ₹5,592 crore. So, in total they would have to spend around ₹37,292 crore in buying the two bands.

These prices are for a 20-year period, which would go up 1.5 times for a 30-year period, so in the latter case, operators would have to pay a total of ₹55,938 crore for the two 5G bands.

# Govt clears exports of 0.5 MT wheat after ban

**BANIKINKAR PATTANAYAK**
New Delhi, June 7

**DEVELOPMENTS AFTER CURBS**

- The govt stated the shipments that were already backed by LCs issued before the ban would be allowed
- New Delhi made it amply clear that it would cater to the genuine need of neighbouring countries

**INDIA SHIPPED OUT** as much as 1.13 million tonne of wheat in May, of which 0.4-0.5 million tonne was despatched after a ban on the grain's exports was imposed on May 13, sources told *FE*. The total shipment of the grain in May was close to three times of the level a year before.

Indonesia and Bangladesh have emerged as the biggest beneficiaries of the post-ban despatches, with each importing at least 0.1 million tonne of Indian wheat, a trading source said. On top of these, the directorate general of foreign trade (DGFT) had earlier allowed exports of 61,500 tonne to Egypt. These supplies also include aid.

Importantly, 2.74 million tonne of wheat (worth $902 million) have been exported until June 2 this fiscal, about four times from a year before. In FY22, the country had exported a record 72,00,00 tonne of wheat worth $2.12 billion.

While prohibiting wheat exports last month to curb domestic price rise, the government stated the shipments that were already backed by letters of credit (LCs) issued before the ban would be allowed. New Delhi also made it amply clear that it would cater to the genuine need of neighbouring countries and food-deficit nations through government-to-government deals and honour supply commitments already made.

However, suspecting a flood of fake and illegal LCs, the DGFT last week warned wheat exporters that it would examine cases for referral to the Central Bureau of Investigation and the Economic Offence Wing if they were found to be using back-dated LCs to get permits for shipping out the grain.

# Improving district hospitals: Mandaviya

**HEALTH MINISTER MANSUKH** Mandaviya on Tuesday said the government is committed to ensure health security for every citizen and it is strengthening district hospitals to provide better healthcare facilities. He also emphasised on the role of states in ensuring food safety and healthy food practices, an official statement said.

Mandaviya released Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)'s 4th State Food Safety Index (SFSI) to measure the performance of states across five parameters of food safety. The index was started from 2018-19 with the aim of improving the food safety ecosystem. **-PTI**

# Reforms proposed to ease rules for non-coal minerals' licensing

**SARATHI RAY**
New Delhi, June 7

**TO GIVE FURTHER** impetus to the non-coal, non-fuel mining sector, the mines ministry has proposed another set of reforms including dispensing with the need for the states to obtain Centre's prior approval for awarding composite licence (prospective-cum-mining) for blocks bearing bauxite, limestone, manganese and iron ore through the mandatory auction route.

The ministry proposes to do away with the section 10B (2) of the governing Mines and Minerals (Development and Regulation) Act that mandates the states to seek prior approval as it feels appropriate "to remove the redundant process" since only reconnaissance survey (G4) level of exploration is required for initiating auction process for composite licence (CL). Through a number of reforms initiated last year, the Centre allowed auction of blocks for CL at G4 level of exploration instead of previously prescribed G3 (preliminary exploration) level.

**The ministry proposes to do away with section 10B (2) of the governing Mines and Minerals (Development and Regulation) Act that mandates the states to seek prior approval**

"As the level of exploration has been reduced at the CL stage, it would be appropriate to remove the redundant process of obtaining previous approval of the central government before putting a block for auction of CL.

This will enable the state governments to put blocks in auction for CL at a faster pace. Accordingly, section 10B (2) of the Act may be amended," the mines ministry said in a note put for stakeholders' comment.

Since the mandatory auction regimed kicked in with the amendment of the MMDR Act, 1957, around 180 mineral blocks have been auctioned so far. The mines ministry also proposes to do away with the requirement of forest clearance for exploration, agreeing to the suggestion of a high-level committee of the NITI Aayog that had recommended," there should not be any requirement of forest clearance for undertaking exploration."

The ministry of forest and climate change had, in a consultation paper, issued in October last year also proposed, "particularly in such activities where the impact is not perceptible, the provisions of the Act (Forest Conservation Act, 1980) may not be applicable.

"In order to enable auction of more blocks and to enhance production of minerals, more exploration is required to be conducted. Mining operations can be undertaken in an area only after the existence of mineral is established in the said area. Necessary forest clearance would anyway be taken before start of mining operations," the mines ministry note said. The mines ministry is also proposing to allow captive miners to allow selling of 50% of their annual production without any restriction. Brought in through MMDR Amendment 2021, the government had allowed captive miners to sell up to 50% of the annual production "after meeting the requirement of linked plant."

# PSBs to conduct credit outreach drive today

**FE BUREAU**
New Delhi, June 7

**STATE-RUN BANKS WILL** conduct a massive credit outreach programme in all districts of the country on Wednesday and will enrol customers for various official schemes, especially in insurance. The outreach programme is curated as part of a week-long celebration of the finance and corporate affairs ministry under the so-called Azadi Ka Amrit Mahotsav. It is also a part of the government's efforts to ensure greater and easier credit flow, as the economy recovers from the damage caused by the pandemic. In October 2021, public-sector banks (PSBs) were directed to launch a similar outreach programme for a longer period in the build-up to Diwali to take advantage of a potential rise in credit demand during the festive season.

DELHI / GURGAON
FOR INDUSTRY ONLY
SALE / RENT
UDYOG VIHAR
PACE CITY
INFOCITY
IMT MANESAR
BAWAL
PLOT & BUILDING FOR SALE
1000, 4000 sq. mtr, 2 Acre, 5 Acre, 10 Acre
BUILDING FOR RENT
25 000 to 50 000 Sq.ft.
100 000 to 200 000 Sq.ft.
LEASE FOR WAREHOUSE & LAND
New Sheds - 200 000 to 500 000 Sq. ft.
SAYA ESTATE
Naresh Kumar
9810235126

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !
punjab national bank ...the name you can BANK upon !

Head Office
Plot No-4, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075 (Email hosd@pnb.co.in)

NOTICE OF THE 21ST AGM OF THE BANK TO BE HELD THROUGH VC/OAVM

This has reference to our Newspaper Notice dated 04.06.2022 (published on 05.06.2022) regarding the 21st Annual General Meeting of the shareholders of PUNJAB NATIONAL BANK to be held on Thursday, 30th June, 2022 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in accordance with the relaxations accorded by MCA and SEBI, without the physical presence of shareholders at a common venue.

In accordance with the provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and subsequent to the aforesaid relaxations, the Annual Report for FY 2021-22 containing the Notice of AGM has been sent to the shareholders [whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s)] only through electronic mode. The same is available on the website of the Bank at **https://www.pnbindia.in/annual-reports.html**, on the websites of the Stock Exchanges i.e. **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** and on the website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com**.

Shareholders are requested to refer to the Notice of AGM for all relevant information/procedures in respect of the AGM.

By Order of the Board of Directors
For Punjab National Bank
Sd/-
(Ekta Pasricha)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 07.06.2022

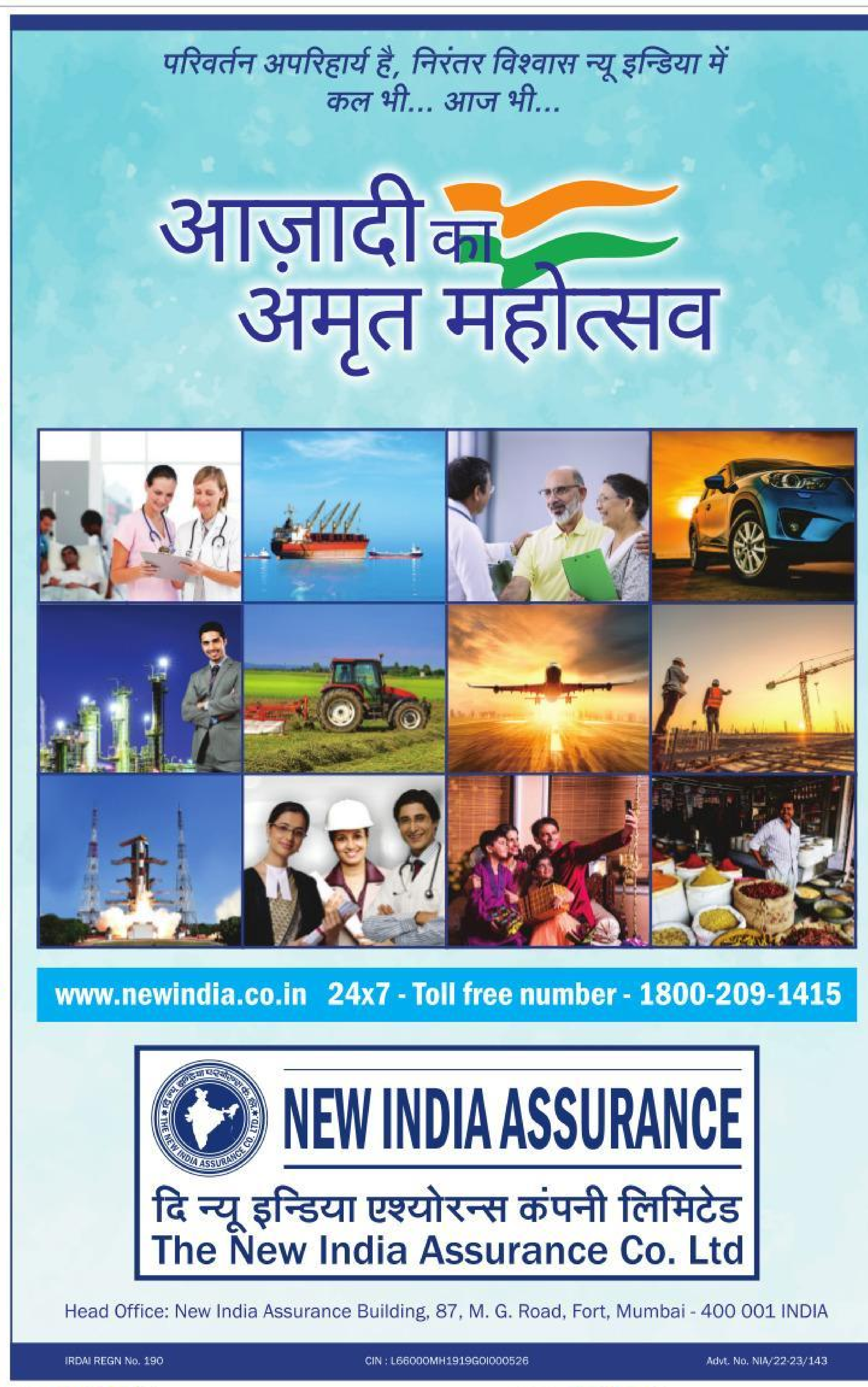


JINDAL
**JINDAL UNITED STEEL LIMITED**
CIN - U28113HR2014PLC053875
Registered Office: O.P. Jindal Marg, Hisar-125005, Haryana
Phone No.: +91-011-26188345 Fax No. +91-11-41659169
Email Id.: jindalunited@gmail.com Website: www.jindalunitedsteel.com
Corporate Office: Jindal Center, 12, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066

FORM NO. CAA 2

[Pursuant to Section 230(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 and 7 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016]

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, CHANDIGARH BENCH
COMPANY APPLICATION NO. CA(CAA) No. 8/Chd/Hry/2022

In the Matter of Companies Act, 2013;
And
In the matter of Sections 230-232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder.
And
In the matter of the Composite Scheme of Arrangement amongst Jindal United Steel Limited and Jindal Coke Limited.

JINDAL UNITED STEEL LIMITED
[CIN: U28113HR2014PLC053875],
an existing company incorporated under the provisions of the Companies Act, 2013 and a public limited Company within the meaning of Companies Act, 2013, having its Registered Office at O.P. Jindal Marg, Hisar-125005, Haryana
Phone No.: +91-011-26188345 Fax No. +91-11-41659169
Website : www.jindalunitedsteel.com;
Email : jindalunited@gmail.com

APPLICANT COMPANY NO. 1/ AMALGAMATED COMPANY

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETING OF SECURED CREDITORS AND UNSECURED CREDITORS OF JINDAL UNITED STEEL LIMITED ("THE COMPANY")

NOTICE is hereby given that by an Order dated the 10th day of May 2022 of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench (**"NCLT"**) in the Company Application no. CA (CAA) No. 8/Chd/Hry/2022 (referred as **'Order'**), the NCLT has directed that a meeting of the Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Company (**"Meetings"**) be held for the purpose of considering and if thought fit, approving with or without modification(s), the Composite Scheme of Arrangement amongst Jindal United Steel Limited (the **"Amalgamated Company"**) and Jindal Coke Limited (the **"Amalgamating Company"**) and their respective shareholders and creditors (**"Scheme"**) under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder (the **"Act"**).

In pursuance of the Order and as directed therein and in compliance with the provisions of the Act, notice is hereby given that Meetings of the Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Amalgamated Company will be held through Video Conferencing or Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility as under:

| S. No. | Meeting of | Day and Date of Meeting(s) | Time of Meeting(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Secured Creditors | Saturday, 09th July, 2022 | 10:30 A.M. |
| 2 | Unsecured Creditors | Saturday, 09th July, 2022 | 11:30 A.M. |

The deemed venue for the aforesaid Meetings shall be the Registered Office of the Amalgamated Company, i.e. O.P. Jindal Marg, Hisar-125005, Haryana.

Copy of the Scheme, the Notice along with the Explanatory statement under Section 102, 230 to 232 of the Act and the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 along with the annexures, can also be accessed on the website of the Amalgamated Company viz. www.jindalunitedsteel.com and also on the website of Link Intime India Private Limited, the Registrar & Share Transfer Agent of the Company (**"Link Intime"**) at **https://instavote.linkintime.co.in/**, being the agency appointed by the Amalgamated Company to provide e-voting and other facilities. In case any person, wishes to receive a physical copy of the Scheme, a requisition shall be made to the Amalgamated Company at jindalunited@gmail.com, which can be obtained free of charge, within 1 (one) day from such requisition. Further, requisition for obtaining extracts or for inspection, could also be made by any person, at the registered office of the Amalgamated Company at O.P. Jindal Marg, Hisar-125005, Haryana, between 10.00 A.M. and 12.00 Noon on all days (except Saturdays, Sundays and public holidays) prior to the date of the Meetings.

The NCLT has appointed Mr. Justice Surinder Gupta (Retd.) as Chairperson and Mr. Yash Pal Gupta, Advocate as Alternate Chairperson for the Meetings and Ms. Neelanchi Garg, Chartered Accountant, as Scrutinizer for the aforesaid Meetings. The Scheme, if so approved by the Secured Creditors and Unsecured Creditors will be subject to subsequent approval of the NCLT and such other approval(s), permission(s) and sanction(s) of regulatory authorities, as may be necessary.

Persons entitled to attend and vote at the Meetings may vote through remote e-voting / e-voting to cast their respective votes for the aforesaid Meetings by following the instructions given in the respective Notices.

Secured and Unsecured Creditors entitled to attend and vote for the above said Meetings of the Company, is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. Since the above said Meetings are being held pursuant to the relevant MCA circulars and directions of NCLT through VC / OVAM facility, physical attendance of the persons has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Secured and Unsecured Creditors will not be available for the Meetings.

The cut-off date for e-voting by Secured Creditors and Unsecured Creditors shall be Tuesday, 10th May, 2022. The remote e-voting facility for the aforesaid Meetings shall start at 09th June, 2022 at 9:00 a.m. (Indian Standard Time) and end on 08th July, 2022 at 5:00 p.m. (Indian Standard Time). The remote e-voting facility will be disabled by Link Intime after the aforesaid date and time. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and once the vote on the resolution is cast by the persons and shall not be allowed to change it subsequently.

Secured Creditors and Unsecured Creditors whose name appear in the list of Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Amalgamated Company as on the cut-off date i.e. Tuesday, 10th May, 2022 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting for the respective Meetings. The voting rights of the Secured Creditors and Unsecured Creditors shall be in proportion to the outstanding amount due by the Amalgamated Company as on the cut-off date, i.e. Tuesday, 10th May, 2022.

Secured Creditors and Unsecured Creditors who had cast their vote through remote e-voting would not be entitled for e-voting during the respective Meetings. However, the Secured Creditors and Unsecured Creditors may participate in the respective Meetings even after exercising his / her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the respective Meetings.

Secured Creditors and Unsecured Creditors who have not registered their email addresses with the Amalgamated Company and who wish to receive the notice of the Meetings of the Secured Creditors and Unsecured Creditors and/or login details for joining the Meetings through VC/OAVM facility including e-voting can now register their e-mail addresses with the Amalgamated Company. For this purpose they can send scanned copy of signed request letter, complete address and the email address to be registered along with self-attested copy of the PAN Card and any document supporting the registered address of the Secured Creditors / Unsecured Creditors, by email to the Amalgamated Company at jindalunited@gmail.com.

In case of any queries or grievance pertaining to E-voting, the Secured Creditors and Unsecured Creditors may refer to the help section at https://instavote.linkintime.co.in or contact Mr. Swapan Kumar Naskar, Associate Vice President & Head (North India), Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH2 C1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058 at Contact No. (011) 41410592/93/94 (Email: swapann@linkintime.co.in) or contact the Amalgamated Company.

Mr. Justice Surinder Gupta (Retd.)
Chairperson Appointed for the Meetings
Dated this 07th day of June, 2022

# पढ़ाई में डिजिटल प्रौद्योगिकी के फायदों का उपयोग करने की जरूरत : राष्ट्रपति

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जून।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी शिक्षा के दायरे को बढ़ा रही है और उत्कृष्टता हासिल करने के लिए इसके (डिजिटल प्रौद्योगिकी) परिवर्तनकारी फायदों का उपयोग करने की जरूरत है, ताकि शिक्षण एवं पठन-पाठन को समृद्ध बनाया जा सके।

राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों एवं राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों के निदेशकों के दो दिवसीय 'विजिटर कांफ्रेंस' का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए हमें पठन-पाठन के आधुनिक और नवोन्मेषी तौर तरीकों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्कृष्टता हासिल करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के परिवर्तनकारी फायदों का उपयोग करने की जरूरत है ताकि शिक्षण एवं पठन-पाठन के अनुभवों एवं तरीकों को समृद्ध बनाया जा सके। इस सम्मेलन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे।

डिजिटल प्रौद्योगिकी के फायदों का जिक्र करते हुए कोविंद ने कहा कि जब महामारी के कारण पठन-पाठन के पटरी से उतरने का खतरा उत्पन्न हो गया था, तब प्रौद्योगिकी ने इसे जारी रखना सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि कठिनाइयां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह देखना सुखद है कि निर्बाध रूप से शिक्षण, मूल्यांकन, शोध आदि कार्य चल रहे हैं।

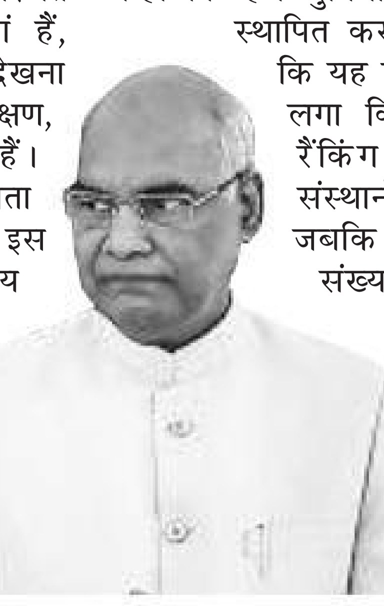

राष्ट्रपति ने कहा कि देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस कार्यक्रम के शुरुआती सत्र में इस विषय को स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे उच्च शैक्षणिक संस्थान इसके केंद्र में हैं क्योंकि हमारे युवा नागरिक न केवल अतीत के उत्तराधिकारी हैं बल्कि आने वाले स्वर्णिम समय में भारत का नेतृत्व करने वाले भी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शैक्षणिक संस्थाओं पर युवाओं में बदलाव लाने की बड़ी जिम्मेदारी है। कोविंद ने कहा कि शिक्षा से जुड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को बेहतर बनाना काफी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानदंड स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि यह जानकर काफी अच्छा लगा कि इस वर्ष 'क्यूएस रैंकिंग' में 35 भारतीय संस्थानों ने स्थान बनाया, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 29 थी। उन्होंने नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया।

# 'जीआइएस' नक्शे पर आएंगे देश के राजमार्ग

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 7 जून

**योजनाओं** को तेजी से लागू करने के लिए केंद्र सरकार की पहल

**अब** देश भर की एजंसियां जमीनी स्तर पर यह खाका तैयार करेंगी

देश के राजमार्ग को तलाशना जल्द ही और आसान होगा। ये राजमार्ग जल्द ही कम्प्यूटर माउस के एक क्लीक पर उपलब्ध होंगे। इसके लिए राजमार्गो को जियोग्राफिक इन्फोरमेंशन सिस्टम (जीआइएस मैंपिंग) पर चिह्नित करने के लिए राज्य सरकारें काम शुरू करेंगी। इसके लिए केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्रालय ने सभी राज्यों को आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था जमीनी स्तर परियोजना लागू करने से पूर्व प्रबंधन प्रक्रिया को भी आसान बनाएगी।

मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में राज्य सरकारों को कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जीआइएस मैपिंग के कार्य को अपने प्राथमिक स्तर के कार्यो में शामिल किया है, लेकिन अभी तक भी यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। हाल ही में भास्कराचार्य नेशनल इस्टीट्यूट फार स्पेश एप्लीकेशन और जियो इन्फोरमेशन गांधी नगर (बीआइएसएजीएन), गुजरात ने जीआइएस सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण में करीब 1.30 लाख किलोमीटर क्षेत्र को चिह्नित किया गया है। मंत्रालय ने सभी विभागों को देशभर में इस सर्वेक्षण की जमीनी स्तर पर जांच करने के आदेश दिए है ताकि इसे लागू किया जा सके। आदेश में बताया गया है कि राजमार्ग प्राधिकरण की स्थानीय जांच यूनिट और बीआइएसएजीएन मिलकर सभी राजमार्गो की जीएसआइ मैपिंग के कार्य को पूर्ण करेंगे।

इस कार्य में राज्य के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), आरसीडी, एनएचआइडीसीएल और बीआरडी द्वारा स्थानीय स्तर पर एजंसी की मदद करेंगे। इस दौरान संबंधित एजंसियां अपने कार्य क्षेत्र के तहत आने वाले राजमार्ग की परियोजना और मार्ग की जीआइएस मैपिंग पर काम करेंगे। इसके अतिरिक्त इन विभागों को कहा गया है कि अगर उनके पास राजमार्ग से संबंधित पहले से ही कोई लिखित जानकारियां उपलब्ध हैं तो उसकी जानकारियां भी संबंधित एजंसी को उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए सभी राज्यों को मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। विशेषज्ञ बताते हैं कि परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर आने से पूर्व उन योजनाओं पर पहले कागजी स्तर पर काफी काम करना होता है। राजमार्ग के विस्तार की योजना केंद्र सरकार की प्राथमिक योजनाओं में शामिल है और जीआइएस लागू होने की स्थिति में देश के सभी राजमार्गो की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। अगर कहीं पर राजमार्ग का विस्तार करना है तो उसके बदलाव के लिए पहले चरण का कार्य आसानी से केंद्रीय स्तर पर संभव हो सकेगा। मार्ग पर होने वाले बदलावों की जानकारियां भी इस पर उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके लिए बाद में जमीनी स्तर पर जांच कर परियोजना को लागू किया जा सकेगा। भविष्य में इस माडल को बेहतर बनाकर सरकारी विभाग अपने तामेमल के लिए भी प्रयोग कर सकेंगी।

# दोपहिया पर पीछे बैठे लोगों के हेलमेट नहीं पहनने पर होगी कार्रवाई

मुंबई, 7 जून (भाषा)।

मुंबई में यातायात पुलिस चौकियां गुरुवार (नौ जून) से हेलमेट नहीं पहनने पर दोपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ पीछे बैठे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई शुरू करेंगी। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मुंबई पुलिस ने हाल में एक अधिसूचना जारी करके दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे लोगों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। पुलिस ने इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कारवाई की चेतावनी दी थी।पुलिस उपायुक्त (यातायात) आर रोशन ने कहा कि अगर दोपहिया वाहन चालक और उनके पीछे बैठने वाला व्यक्ति हेलमेट पहने बिना पाए जाएंगे, तो उनके खिलाफ गुरुवार से कार्रवाई की जाएगी। हम उनका लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित करेंगे और उन पर 500 रुपए का जुर्माना लगाएंगे।

सभी 50 यातायात चौकियों से उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस चालान काटेगी और लोगों से कानून का पालन करने को कहेगी।

# पत्नी की गोली मार कर हत्या, सास घायल

पुणे, 7 जून (भाषा)।

महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिरूर इलाके में अदालत के पास मंगलवार को 45 वर्षीय व्यक्ति ने अलग रह रही पत्नी की कथित तौर पर गोली मार कर हत्या कर दी और सास को घायल कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुणे के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अभिनव देशमुख ने बताया कि गोलीबारी दोपहर करीब 12 बजे लोक निर्माण विभाग परिसर में हुई, जो सिविल अदालत के पास स्थित है। देशमुख ने कहा कि आरोपी दीपक धवले सेना से सेवानिवृत्त हुआ है। धवले मंजुरा को गुजारा भत्ते देने को लेकर चल रहे विवाद की सुनवाई के लिए आटोरिक्शा में अंबरनाथ से शिरूर गया था, इस दौरान धवले के साथ उसका भाई भी मौजूद था। उन्होंने बताया कि धवले ने मंजुरा और सास तुलसा बाई जांबारे पर कथित तौर पर गोलियां चलाईं। अधिकारी ने कहा कि धवले बंधु गोली मारने के बाद आटोरिक्शा में सवार होकर भाग गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रंजनगांव इलाके के पास से दबोच लिया। उन्होंने बताया कि मंजुरा ने दम तोड़ दिया, जबकि सास तुलसा बाई गंभीर रूप से घायल हो गईं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। देशमुख ने बताया कि पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी बंदूक बरामद कर ली है।

# सिविल सेवा परीक्षा में विफल रहने पर अभ्यर्थी ने की आत्महत्या

नागपुर, 7 जून (भाषा)।

महाराष्ट्र में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में तीन बार विफल होने से निराश सिविल सेवा के 28 वर्षीय छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि नागपुर के जरीपटका इलाके के निवासी ब्लेसन पुड्डू चाको ने रविवार को अपने घर में उस वक्त पंखे से फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली, जब वह अकेला था। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद चाको ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी।

जरीपटका पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि वह तीन बार परीक्षा पास करने में विफल रहे और निराश हो गए थे। अधिकारी ने बताया कि रविवार की सुबह चाको ने यह कदम तब उठाया, जब उनके पिता चर्च गए हुए थे। जरीपटका पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है।

# संरक्षित वन पर केरल सरकार की चुप्पी के खिलाफ हड़ताल

पथनमथिट्टा, 7 जून (भाषा)।

**शीर्ष** अदालत ने हाल ही में एक निर्देश जारी किया था कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों सहित प्रत्येक संरक्षित वन के बाहर एक किलोमीटर के दायरे में पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) होना चाहिए।

केरल के पथनमथिट्टा जिले की सात पंचायतों में मंगलवार को कांग्रेस की ओर से आयोजित एक दिवसीय हड़ताल के कारण दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर वाहन नहीं दिखे। संरक्षित वन के पास पर्यावरण के लिहाज से संवदेनशील क्षेत्र (ईएसजेड) के संबंध में सर्वोच्च अदालत के आदेश और इस मामले में केरल सरकार की कथित चुप्पी को लेकर कांग्रेस ने यह हड़ताल आयोजित की।

शीर्ष अदालत ने हाल ही में एक निर्देश जारी किया था कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों सहित प्रत्येक संरक्षित वन के बाहर एक किलोमीटर के दायरे में पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) होना चाहिए। अदालत ने कहा कि पूरे देश के ऐसे पार्कों के भीतर खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिन पंचायतों में हड़ताल का आयोजन किया गया उनमें अरुवापलम, थन्नीथोड, चित्तर, वडसेरिक्कारा, पेरिनाड और सीताथोडु शामिल हैं।

सुबह छह बजे से शुरू हुई हड़ताल के बाद से मेडिकल स्टोर को छोड़कर अधिकांश दुकानें बंद रहीं और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित रहीं। शीर्ष अदालत के निर्देश को लागू करने के संबंध में चिंता व्यक्त करने के लिए स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला और बैठकें कीं। उन्होंने राज्य की एलडीएफ सरकार पर इस मुद्दे पर चुप रहने का भी आरोप लगाया, जिससे आम लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कई निर्देश जारी करते हुए तीन जून को आदेश दिया था कि ऐसे ईएसजेड के भीतर किसी भी स्थायी ढांचे की अनुमति नहीं दी जाएगी। पीठ ने कहा कि यदि स्थानीय कानून या अन्य नियम एक किलोमीटर से अधिक का ईएसजेड प्रदान करते हैं, तो पहले के प्रावधान लागू रहेंगे।

शीर्ष अदालत का आदेश वर्ष 1995 से लंबित एक जनहित याचिका को लेकर दायर आवेदनों पर आया। याचिका में राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य जमुआ रामगढ़ और उसके आसपास खनन गतिविधियों से संबंधित दो मुद्दों को उठाया गया है। इसके अलावा याचिका में वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास ईएसजेड निर्धारित करने से संबंधित था। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शीर्ष अदालत के निर्देश का स्वागत किया था, लेकिन यह भी कहा कि ईएसजेड में पड़ने वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों की भी रक्षा करनी होगी।


**जिन्दल यूनाइटेड स्टील लिमिटेड**

CIN - U28113HR2014PLC053875
पंजीकृत कार्यालय : ओ.पी. जिन्दल मार्ग, हिसार-125005, हरियाणा
फोन नं. +91-011-26188345, फैक्स नं. +91-11-41659169
ई-मेल आईडी : jindalunited@gmail.com, वेबसाइट : www.jindalunitedsteel.com
कार्पोरेट ऑफिस : जिन्दल सेंटर, 12, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110 066

प्रपत्र सं. सीएए 2
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 (3) और कंपनी (समझौता, प्रबंध और समामेलन) नियम 2016 के नियम 6 और 7 के अनुसार]
माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चण्डीगढ़ पीठ के समक्ष
कंपनी आवेदन संख्या सीए (सीएए) सं. 8/Chd/Hry/2022

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में;
एवं
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के मामलों में
एवं
जिन्दल यूनाइटेड स्टील लिमिटेड और जिन्दल कोक लिमिटेड के बीच व्यवस्था की समग्र योजना के मामले में

जिन्दल यूनाइटेड स्टील लिमिटेड
[CIN: U28113HR2014PLC053875],
कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित एक मौजूदा कंपनी और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ओ.पी. जिन्दल मार्ग, हिसार-125005, हरियाणा में है।
फोन : +91-011-26188345,
फैक्स : +91-11-41659169
वेबसाइट : www.jindalunitedsteel.com;
ई-मेल : jindalunited@gmail.com
आवेदक कंपनी सं. 1 / समामेलित कंपनी

**जिन्दल यूनाइटेड स्टील लिमिटेड ("कंपनी") के सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक की सूचना और विज्ञापन सूचना**

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी आवेदन सं. सीए (सीएए) सं. 8/Chd/Hry/2022 में माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चण्डीगढ़ पीठ ("एनसीएलटी") के दिनांक 10 मई, 2022 के आदेश ("**आदेश**" के रूप में संदर्भित) द्वारा एनसीएलटी ने निर्देश दिया है कि कंपनी के सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक ("**बैठक**") कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों ("**अधिनियम**") के अंतर्गत जिन्दल यूनाइटेड स्टील लिमिटेड ("**समामेलित कंपनी**") और जिन्दल कोक लिमिटेड (**समामेलित होने वाली कंपनी**) और उनके संबंधित शेयरधारकों और ऋणदाताओं ("**स्कीम**") के बीच व्यवस्था की समग्र योजना पर विचार करने, और यदि उचित समझा जाय, अनुमोदन, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के; के उद्देश्य से आयोजित किया जाय।

आदेश के अनुसरण में और उसमें निर्देशित के अनुसार में और अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में, एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि समामेलित कंपनी के सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो वीडियो साधनों (**वीसी / ओएवीएम**) की सुविधा के माध्यम से निम्नानुसार आयोजित किया जायेगा:-

| क्रम सं. | बैठक | बैठक का दिन और तिथि | बैठक का समय |
|---|---|---|---|
| 1 | सुरक्षित लेनदार | शनिवार, 9 जुलाई, 2022 | पूर्वान्ह 10:30 बजे |
| 2 | असुरक्षित लेनदार | शनिवार, 9 जुलाई, 2022 | पूर्वान्ह 11:30 बजे |

उपरोक्त बैठकों का प्रमाणित स्थल समामेलित कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अर्थात् ओ.पी. जिन्दल मार्ग, हिसार, हरियाणा-125005 माना जायेगा।

स्कीम की प्रति, अधिनियम की धारा 102, 230 से 232 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण के साथ सूचना, (समझौता, प्रबंधन और समामेलन) कंपनी नियम, 2016 और अनुलग्नकों के साथ, समामेलित कंपनी की वेबसाइट अर्थात् **www.jindalunitedsteel.com** और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ("**लिंक इनटाइम**") कंपनी का पंजीयक और शेयर ट्रांसफर एजेंट, जो कि ई-वोटिंग और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए समामेलित कंपनी द्वारा नियुक्त एजेंसी है, की वेबसाइट **https://instavote.linkintime.co.in/** पर भी देखा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति स्कीम की भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहता है, तो उसे समामेलित कंपनी को **jindalunited@gmail.com** अनुरोध करना होगा, जिसे इस निवेदन के 1 (एक) दिन के भीतर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति द्वारा उद्धरण प्राप्त करने या निरीक्षण के लिए समामेलित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, ओ.पी. जिन्दल मार्ग, हिसार-125005, हरियाणा में प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक किसी भी दिन (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश के अलावा) बैठक की तिथि से पहले निवेदन किया जा सकता है।

एनसीएलटी ने सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक के लिए श्री न्यायाधीश सुरेन्द्र गुप्ता (सेवानिवृत्त) को अध्यक्ष और श्री यशपाल गुप्ता, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष और सुश्री निलांची गर्ग, चार्टर्ड एकाउंटेंट को उपरोक्त बैठकों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। स्कीम, यदि सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों द्वारा अनुमोदित की जाती है, एनसीएलटी के अनुवर्ती अनुमोदन, और यथावश्यक, विनियामक प्राधिकरणों के अन्य अनुमोदन (नों), अनुमति (यों) तथा स्वीकृति (यों) के अधीन होगी।

बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए अधिकृत व्यक्ति संबंधित सूचना में दिये गये निर्देशों का पालन करके उपरोक्त बैठक में रिमोट ई-वोटिंग / ई वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं।

कम्पनी की उपरोक्त बैठक में भाग लेने और मतदान करने के अधिकृत सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए अधिकृत हैं। चूंकि सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों की बैठक प्रासंगिक एमसीए सर्कुलर और वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एनसीएलटी के निर्देशों के अनुसार आयोजित होना है, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों की बैठक के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों के लिए ई-वोटिंग की कट-ऑफ तिथि मंगलवार, 10 मई, 2022 है। उपरोक्त बैठक के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा 9 जून, 2022 को प्रातः 9.00 बजे (भारतीय मानक समय) से शुरू होगी और 8 जुलाई, 2022 को सायं 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी। उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा लिंक इनटाइम द्वारा समाप्त कर दी जायेगी। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और संकल्प पर एक बार मतदान करने के बाद किसी व्यक्ति को इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

सुरक्षित लेनदार और असुरक्षित लेनदार, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 10 मई, 2022 को समामेलित कंपनी के सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की सूची में होगी, वे संबंधित बैठकों के दौरान रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकृत होंगे। सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों के वोटिंग का अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 10 मई, 2022 को समामेलित कंपनी द्वारा देय बकाया राशि के अनुपात में होगी।

सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया था, वे संबंधित बैठक के दौरान ई-वोटिंग के पात्र नहीं होंगे। हॉलांकि सुरक्षित लेनदार और असुरक्षित लेनदार रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी संबंधित बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु उन्हें फिर से मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।

सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों, जिन्होंने समामेलित कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किये हैं और जो ई-वोटिंग सहित वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों के बैठक की सूचना और / या लॉगिन विवरण प्राप्त करना चाहते हैं, अब अपने ई-मेल पते को समामेलित कंपनी के साथ पंजीकृत कर सकते हैं। इस प्रयोजन हेतु वे पूरा पता और पंजीकृत करवाने हेतु ई-मेल पता का उल्लेखयुक्त स्वहस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड और अपने पंजीकृत पते के समर्थन में किसी दस्तावेज की स्वसत्यापित प्रति ई-मेल द्वारा समामेलित कंपनी को **jindalunited@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी प्रश्न या शिकायत के संबंध में सुरक्षित लेनदार और असुरक्षित लेनदार **https://instavote.linkintime.co.in** पर सहायता अनुभाग देख सकते हैं या श्री स्वप्न कुमार नस्कर, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट और हेड (उत्तर भारत), लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट सं. एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 से फोन नं.- (011) 41410592/93/94 (ई-मेल **swapann@linkintime.co.in**) पर या समामेलित कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

श्री न्यायाधीश सुरेन्द्र गुप्ता (सेवानिवृत्त)
बैठक हेतु नियुक्त अध्यक्ष
दिनांक : 07 जून, 2022



**नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड**
ट्रेडवर्ल्ड, ए विंग, 4थी मंज़िल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअरपरेल, मुंबई - 400013.

**सूचना**

आम जनता को सूचित किया जाता है कि NSDL उपनियम 6.5.1 के प्रावधानों के तहत अलाइड फाइनैंशियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (AFSPL) (DP ID: IN301452) की प्रतिभागिता को समाप्त कर दिया गया है और इसकी सूचना AFSPL को दे दी गयी है।

सभी ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी अन्य प्रतिभागी के साथ एक नया खाता खोलें और उनकी प्रतिभूतियों को दूसरे प्रतिभागी के साथ खोले गये खाते में हस्तांतरित करायें। अगर कोई ग्राहक एनएसडीएल की प्रतिभागिता के दौरान AFSPL द्वारा दी गयी डिपॉज़िटरी सेवाओं के संबंध में कोई शिकायत या विवाद दर्ज करना चाहता है, तो वह इसकी सूचना लिखित रूप में ऑफिसर इनचार्ज, इनवेस्टर रिलेशनशिप सेल, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड, 4थी मंज़िल, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013 को जुलाई 8, 2022 से पहले दे सकता है या relations@nsdl.co.in पर ईमेल कर सकता है। इस तिथि के बाद किसी भी शिकायत / दावे / विवाद की सुनवाई नहीं होगी।

नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड
हस्ताक्षरकर्ता
विशाल गज्जर
उपाध्यक्ष



**प्ररूप संख्या आईएनसी-26**
{कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में
और
**युग सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड**
(CIN: U72100HR1976PTC041987)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 20, टीसीसी, पहली मंजिल, सैक्टर-10, फरीदाबाद, हरियाणा-121006 में हैं, के मामले में
....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

एतदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "हरियाणा राज्य" से "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" में स्थानांतरित करने के लिए 23 मई, 2022 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।
20, टीसीसी, पहली मंजिल, सैक्टर-10, फरीदाबाद, हरियाणा-121006

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
युग सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता / -
दिनांक : 07.06.2022 परवीन मेंदीरत्ता (निदेशक)
स्थान : फरीदाबाद डीआईएन : 02390998



**प्ररूप संख्या आईएनसी-26**
{कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में
और
**क्लाउडफार्म प्राइवेट लिमिटेड**
{पूर्व में लैंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड और इंपीरियल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता है}
(CIN: U01403DL2006PTC267821)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 29, प्रैजीडेंशियल एस्टेट, निजामुदीन पूर्व, नई दिल्ली- 110013 में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

एतदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "पंजाब राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 02 जून, 2022 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।
29, प्रैजीडेंशियल एस्टेट, निजामुदीन पूर्व, नई दिल्ली- 110013

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
क्लाउडफार्म प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता / -
दिनांक : 07.06.2022 मानविंदर सिंह (निदेशक)
स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 00025729



**"प्रपत्र सं. आइएनसी-26"**
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार के समक्ष उत्तरी क्षेत्र,
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
**बेसिक 3 कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड**
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : जे-27 दूसरा फ्लोर जगरूदपुर नई दिल्ली डीएल 110048 इन में स्थित है
....याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "पंजाब राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 06.06.2022 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : जे-27 दूसरा फ्लोर जगरूदपुर नई दिल्ली डीएल 110048
आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
बेसिक 3 कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता. / -
तिथि : 06.06.2022 जगदीश सिंह
स्थान : नई दिल्ली निदेशक
डीआईएन : 02832309
(5-ए, पॉकेट-6, एमआईएफ फ्लैट, मयूर विहार, फेस-3, वसुंधरा एन्क्लेव एस.ओ. ईस्ट दिल्ली-110096)



**ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड**
optiemus
CIN : L64200DL1993PLC054086
पंजीकृत कार्यालय: के -20, दूसरी मंजिल, लाजपत नगर - II, नई दिल्ली-110024
कॉर्पोरेट कार्यालय: डी-348, सेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307
वेबसाइट: www.optiemus.com | ईमेल: info@optiemus.com
फोन: 011-29840906

प्रेस विज्ञापन

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्रों के खोने/गुम होने की सूचना दी गई है और ऐसे शेयर प्रमाणपत्र धारकों ने डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कंपनी को आवेदन किया है:

| क्रम सं | फोलियो नं | शेयरधारक का नाम | प्रमाणपत्र संख्या | विशिष्ट संख्या | शेयरों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2036 | नरिंदर कौर | 2235 | 222721-222820 | 100 |
| 2. | 2072 | अमोल रमन लाल ज़वेरी | 18533 | 1852401-1852500 | 100 |
| | | | 36166-36169 | 3615701-3616100 | 400 |
| 3. | 0840 | वुडलैंड सिक्योरिटीज लिमिटेड | 36609-36616 | 3660001-3660800 | 800 |
| | | | 36619-36628 | 3661001-3662000 | 1000 |
| | | | 36635-36637 | 3662601-3662900 | 300 |
| | | | 36639-36640 | 3663001-3663200 | 200 |
| | | | 36642-36643 | 3663301-3663500 | 200 |
| | | | 36652-36654 | 3664301-3664600 | 300 |
| | | | 36662 | 3665301-3665400 | 100 |
| | | | 36669-36670 | 3666001-3666200 | 200 |
| | | | 36687-36690 | 3667801-3668200 | 400 |
| | | | 36720-36721 | 3671101-3671300 | 200 |
| | | | 36732 | 3672301-3672400 | 100 |
| | | | 36746-36748 | 3673701-3674000 | 300 |
| | | | 36761 | 3675201-3675300 | 100 |
| | | | 36767 | 3675801-3675900 | 100 |

कोई भी व्यक्ति(यों) जिसका उक्त प्रमाणपत्र(त्रों) के संबंध में कोई दावा(वें) है, उसे कंपनी 'ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड' के पास डी-348, सेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307 में स्थित अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में ऐसा दावा करना चाहिए या इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर info@optiemus.com पर हमें लिखें, जिसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और कंपनी डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आगे बढ़ेगी।

ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
दिनांक: 07 जून, 2022 विकास चंद्रा
स्थान: दिल्ली कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी



**एकेजी एक्जिम लिमिटेड**
AKG EXIM · Import · Export
A K G Exim Limited
CIN: L00063DL2005PLC139045
पंजीकृत कार्यालय: एच.बी. ट्विन टावर, 07 मंजिल, मैक्स अस्पताल भवन, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
कॉर्पोरेट कार्यालय - यूनिट नंबर 237, दूसरी मंजिल, टावर-बी, स्पेजेज, सेक्टर-47, गुरुग्राम-122018, हरियाणा
वेबसाइट: www.akg-global.com, ईमेल आईडी:-csakg@akg-global.com
दूरभाष: +91-124-4267873, फैक्स: +91-124-4004503

डाकीय मतपत्र / ई-मतदान की सूचना

एतद्द्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए"), भारत सरकार द्वारा निर्गत तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 ("सूचीकरण विनियमावली") तथा कुछ समय के लिए लागू रहे उसके किसी सांविधिक संशोधन अथवा पुनर-अधिनियमन तथा अन्य लागूयोग्य कानून, यदि कोई, समय-समय पर संशोधितानुसार, "कोविड-19-समय का विस्तार-संदर्भ को ध्यान में रखकर कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत विरचित नियमावली के साथ पठित नियमों के अंतर्गत कंपनियों द्वारा साधारण एवं विशेष संकल्पों के पारणन पर स्पष्टीकरण" के संबंध में सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, संख्या 17 / 2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, संख्या 22 / 2020 दिनांकित 15 जून 2020, संख्या 33 / 2020 दिनांकित 28 सितंबर 2020, संख्या 39 / 2020 दिनांकित 31 दिसंबर 2020, संख्या 10 / 2021 दिनांकित 23 जून 2021 तथा संख्या 20 / 2021 दिनांकित 8 दिसंबर 2021 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 22 (कुछ समय के लिए लागू रहे उसके किसी सांविधिक संशोधन अथवा पुनर-अधिनियमन सहित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 110 के प्रावधानों तथा अन्य यथालागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार एकेजी एग्जिम लिमिटेड ("कंपनी") जो है वह दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान के माध्यम से डाकीय मतपत्र सूचना दिनांकित 30 मई 2022 ("सूचना") में निर्धारितानुसार संकल्प को पारित करके अपने सदस्यों से अनुमोदन मांग रही है।

कोविड-19 द्वारा परिव्याप्त असुरक्षा को ध्यान में रखकर तथा एमसीए परिपत्रों के अनुसार तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 एवं 110 के प्रावधानों एवं अन्य लागूयोग्य प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुपालन में, डाकीय मतपत्र सूचना ईमेल द्वारा केवल उन सदस्यों को प्रेषित कर दी गई है जो कंपनी अथवा डिपॉजिटरी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत कर चुके हैं। सदस्यों की सहमति अथवा असहमति केवल दूरस्थ ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। डाकीय मतपत्र सूचना हमारी वेबसाइट **www.akg-global.com** पर भी उपलब्ध कराई जा रही है।

जिन अंशधारकों की ई-मेल आईडी डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत नहीं हुई हैं उनके लिए प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड की अधिप्राप्ति तथा संकल्पों के लिए ई-मतदान हेतु ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया इस सूचना में निर्धारित है:

1. यदि अंशों का धारण भौतिक प्रारूप में किया गया है तो कृपया फोलियो नं. अंशधारक का नाम, अंश प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैंड प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वयं-सत्यापित स्कैंड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं-सत्यापित स्कैंड प्रति) ईमेल द्वारा बेंह / इह.हसवइंसण्बवउ पर भेजकर उपलब्ध कराएं।
2. यदि अंशों का धारण डिमैट मोड में किया गया है तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकीय डीपीआईडी सीएलआईडी अथवा 16 अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्वयं-सत्यापित स्कैंड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं-सत्यापित स्कैंड प्रति) की प्रति **csakg@akg-global.com** को भेजकर उपलब्ध कराएं।
3. सूचना उन सभी सदस्यों के लिए प्रेषित / प्रकाशित / प्रदर्शित कर दी गई है, जिनके नाम शुक्रवार 27 मई 2022 कट-ऑफ तिथि के अनुसार नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) से प्राप्तानुसार सदस्यों की पंजिका में प्रविष्ट हैं।

सूचना में विनिर्दिष्ट व्यवसाय पर अपना मतदान करने के लिए सदस्यों को ई-मतदान सुविधा निम्नलिखित अवधि हेतु उपलब्ध रहेगी:

| |
|---|
| मतदान का प्रारंभनः बुधवार 08 जून 2022 (10.00 बजे आईएसटी) |
| मतदान का समापनः गुरुवार 07 जुलाई 2022 (05.00 बजे आईएसटी) |

इस समयावधि में कंपनी के सदस्य जो कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार 27 मई 2022 के अनुसार चाहे भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में समता अंशों का धारण किए हुए हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मतदान कर सकते हैं। ई-मतदान की अनुमति गुरुवार 07 जुलाई 2022 को सायं 5.00 बजे के उपरांत नहीं दी जाएगी। इसके उपरांत मतदान हेतु एनएसडीएल द्वारा ई-मतदान मॉड्यूल को अयोग्य कर दिया जाएगा। एक सदस्य द्वारा यदि एक बार संकल्प पर मतदान कर दिया जाता है तो सदस्य को बाद में इसमें बदलाव करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

निदेशक मंडल ने डाकीय मतपत्र प्रक्रिया की एक समुचित एवं पारदर्शी प्रविधि के द्वारा जांच-पड़ताल करने के लिए श्री गगर गोयल, मैसर्स गगन गोयल एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज के स्वामी को एक जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। डाकीय मतपत्र के परिणाम की घोषणा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शुक्रवार 08 जुलाई 2022 को की जाएगी तथा परिणाम को कंपनी की वेबसाइट **www.akg-global.com** पर भी अपलोड / प्रदर्शित किया जाएगा।

ई-मतदान की प्रक्रिया को समझने के लिए सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध अंशधारकों हेतु "फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशचन्स" तथा ई-मतदान प्रयोक्ता पुस्तिका का संदर्भ ग्रहण करें अथवा टोल फ्री नं. 1800-1020-990 / 1800-224-430 पर कॉल करें अथवा **evoting@nsdl.co.in** पर एक अनुरोध प्रेषित करें।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते एकेजी एग्जिम लिमिटेड
हस्ता. / -
महक
कंपनी सचिव
स्थानः गुरुग्राम
दिनांकः 07 जून 2022




www.readwhere.com